


14/7/25 पत्रावली प्रार्थी सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार
के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी, प्रार्थी
ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि
उक्त प्रकरण में रजिनामा हो जाने के कारण
प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते, उक्त प्रकरण
विशेष खारिज किया जाये, प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र
वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से हुकम भी जाकर काद
तक़ील दाखिल दलता है।

क्रमांक
34/25/25
J.P.S.


(सत्यनारायण RPS)